वाड़ा के पश्चात् बने अन्य खसरा नम्बर 581 रकबा 01–02 बीघा, खसरा म्बर 581/1 रकबा 01–02 बीघा, व खसरा नम्बर 581/2 रकबा 01–02 बीघा ो प्रत्येक आराजी में से 01–01 बिस्वा आराजी कम करते हुए वादीगण को उनके ौका स्थिति अनुसार कब्जा काश्त की 03 बिस्वा आराजी में खातेदार अभिधारी ोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के मौके पर कब्जा अनुसार आराजी पर उनके हक हिस्से अनुसार तरमीम करते हुए वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख को अद्यतन करें। वादग्रस्त आराजी के वादपत्र इसी मुताबिक बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 09/04/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)